हिन्दी
Hindi

संस्करण 1.0
Version 1.0

नवंबर 2018
Nov 2018

Reportable Conduct Scheme के बारे में आस्था-आधारित समुदायों के लिए एक निर्देशिका

A guide for faith communities on the Reportable Conduct Scheme

COMMISSION FOR CHILDREN
AND YOUNG PEOPLE

अस्वीकरण: यह मार्गदर्शिका केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। इसका उद्देश्य आस्था-आधारित समुदायों को Reportable Conduct Scheme के अनुपालन में सहायता देना है। इस निर्देशिका के उत्पादन में सभी बातों का ध्यान रखा गया है, परंतु इसका उद्देश्य कानूनी सलाह देना नहीं है। समय के साथ कानून और कानूनी आवश्यकताएँ बदलती जाती हैं, इसलिए संगठनों को अपने लिए लागू होने वाली कानूनी आवश्यकताओं की पुष्टि करनी चाहिए और अपनी विशिष्ट स्थिति के बारे में कानूनी सलाह लेनी चाहिए।

बच्चों की शोषण से सुरक्षा करना

बाल शोषण को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बच्चों के संरक्षण और बच्चों को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करने के लिए हम सभी की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी होती है।

हमारे धार्मिक समुदायों समेत हम सभी को अपने संगठनों के अंदर शोषण को रोकने और अवरुद्ध करने के लिए प्रथाएँ और व्यवहार स्थापित करने की आवश्यकता है। शोषण के आरोपों के साथ गहराई, शीघ्रता और निष्पक्ष रूप से व्यवहार करने के लिए हमें अपने संगठनों और समुदायों के अंदर शिकायत करने के लिए तंत्रों की आवश्यकता है। इस दस्तावेज में संक्षेप में बताया गया है कि धार्मिक संगठनों को बच्चों के शोषण के आरोपों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए।

विक्टोरिया में ऐसे कानून और नियम लागू किए गए हैं जो संगठनों से बाल शोषण को रोकने और शोषण के आरोपों के साथ व्यवहार करने में उनसे की जाने वाली अपेक्षाओं में परिवर्तन करते हैं। सभी धार्मिक संगठनों के लिए बाल शोषण और बच्चों से संबंधित दुराचार के सभी आरोपों की शिकायत और जाँच करना आवश्यक है।

Commission for Children and Young People (the Commission), जिसे 2013 में विक्टोरियाई सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, **Reportable Conduct Scheme (the Scheme)**[1] का संचालन करता है, जिसके तहत संगठनों के लिए बाल शोषण और बच्चों से संबंधित दुराचार के आरोपों की शिकायत और जाँच करना तथा इसपर प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। Commission का संपर्क विवरण इस दस्तावेज के अंत में दिया गया है।[1]

1 इस Scheme की स्थापना *Child Wellbeing and Safety Act 2005* (the Act) द्वारा की गई है

हाल का इतिहास

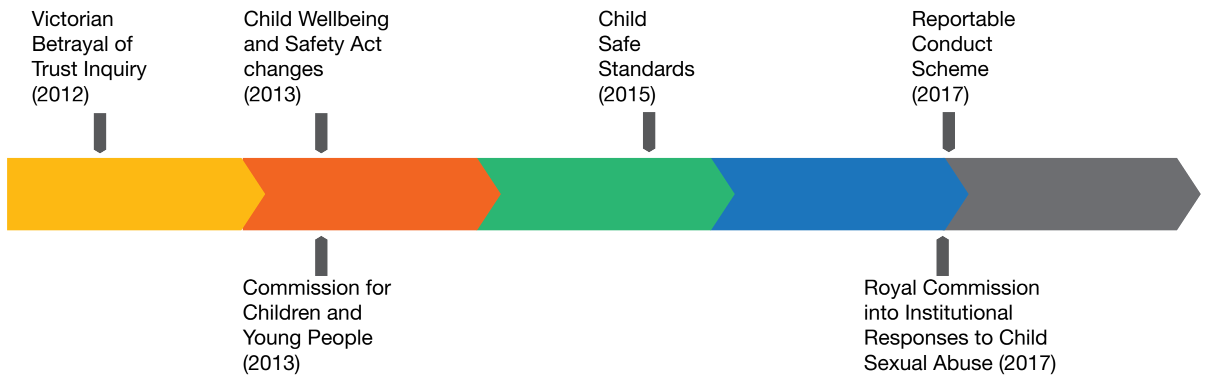

Reportable Conduct Scheme क्या है?

Scheme की अवरचना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि Commission ऐसे संगठनों में बच्चों से जुड़े गंभीर दुराचार के प्रत्येक आरोप के बारे में अवगत रहे, जिनके पास बच्चों की देखभाल और पर्यवेक्षण का प्राधिकार है।

Commission की भूमिका में निम्नलिखित शामिल हैं:

- आरोपों के प्रति संगठन की प्रतिक्रियाओं का स्वतंत्र रूप से निरीक्षण और जाँच करना और इन प्रतिक्रियाओं में सुधार के लिए अनुशंसाएँ देना
- आरोप प्राप्त करने वाले संगठनों का समर्थन करना और इन्हें मार्गदर्शन देना।

इस Scheme का उद्देश्य संगठनों के कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के माध्यम से बच्चों से संबंधित दुराचार के आरोपों के प्रति संगठनों की प्रतिक्रियाओं में सुधार करना है।

धार्मिक संगठनों के लिए आवश्यकताएँ

धार्मिक संगठन अब निम्नलिखित कार्य करने के लिए बाध्य हैं:

- **संगठन के प्रमुख**[2] की पहचान करना या उसे नामित करना - वह व्यक्ति जो बच्चों के साथ दुराचार के आरोपों के प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, और
- संगठन के प्रमुख के साथ दुराचार को निरुद्ध करने और रोकने के लिए तंत्र स्थापित करना, तथा संभावित आरोपों के उत्तर देने के लिए प्रक्रियाएँ स्थापित करना।

संगठन के प्रमुख को नामित करने के बारे में और अधिक जानकारी वेबसाइट https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/for-organisations/#TOC-1 पर उपलब्ध है।

कानून के अनुसार धार्मिक संगठनों के लिए बाल शोषण और बच्चों से संबंधित दुराचार के सभी आरोपों के साथ गंभीरतापूर्वक व्यवहार करना आवश्यक है। यदि किसी को भी यथोचित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई शिकायत करने योग्य आचरण या दुराचार घटित हुआ है जिसमें शिकायत करने योग्य आचरण शामिल हो सकता है, तो धार्मिक संगठन के प्रमुख को इसके बारे में Commission को सूचना देनी होगी। शिकायत करने योग्य आचरण की पहचान और इसके साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, इसके बारे में एक संक्षिप्त साराँश नीचे दिया गया है।

शिकायत करने योग्य आचरण वाले आरोप

- यौन अपराध
- यौन दुराचार
- शारीरिक हिंसा
- अत्यधिक भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक नुकसान उत्पन्न करने वाला व्यवहार
- अत्यधिक उपेक्षा

आरोप की पहचान करना

संगठनों को शिकायत करने योग्य आचरण या ऐसे दुराचार के आरोपों की शिकायत और जाँच करनी होगी जिसमें शिकायत करने योग्य आचरण शामिल हो सकता हैं। Commission के पास पाँच प्रकार के आचरणों की शिकायत करना आवश्यक होता है:

- किसी बच्चे के विरुद्ध, उसके साथ या उसकी उपस्थिति में यौन अपराध
- किसी बच्चे के विरुद्ध, उसके साथ या उसकी उपस्थिति में यौन दुराचार
- किसी बच्चे के विरुद्ध, उसके साथ या उसकी उपस्थिति में शारीरिक हिंसा
- किसी बच्चे के लिए अत्यधिक भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक नुकसान उत्पन्न करने वाला व्यवहार
- किसी बच्चे की अत्यधिक उपेक्षा।

किसी धार्मिक संगठन के साथ काम करने वाले या उसमें शामिल किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाया जा सकता है – इन व्यक्तियों में कर्मचारी, स्वयंसेवक, अधिकारी, धार्मिक नेता, देखभालकर्ता या ठेकेदार शामिल हो सकते हैं। यदि आप इस बारे में सुनिश्चित नहीं हैं कि कोई व्यक्ति Scheme के अंतर्गत आता है या नहीं, तो Commission से संपर्क करें।

2 यह तय करते समय कि किसे नामित करना है, आपको विचार करना चाहिए कि क्या वह व्यक्ति:
- संगठन में एक वरिष्ठ व्यक्ति है
- संगठन के प्रमुख की जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है
- विक्टोरिया में स्थित है
- नामित किए जाने के लिए सहमति देता है

उपरोक्त लोगों के आचरण के बारे में आरोपों की सूचना दी जानी चाहिए, चाहेः

- उनका बच्चों के साथ सीधे संपर्क न हो
- आचरण कार्यक्षेत्र या संगठन में उनकी जिम्मेदारियों के बाहर घटित हुआ हो।

कोई भी व्यक्ति शिकायत करने योग्य आरोप का मुद्दा उठा सकता है। शिकायत करने योग्य आरोप का मुद्दा उठाने के लिए इस बात का यथोचित विश्वास मौजूद होना चाहिए कि संगठन के किसी कर्मचारी या स्वयंसेवक ने तथाकथित शिकायत करने योग्य आचरण किया है।

यथोचित विश्वास मात्र संदेह से अधिक होता है, लेकिन इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यथोचित विश्वास स्थापित हो जाने के बाद संगठन के प्रमुख या नामित व्यक्ति को Commission के पास आरोप की सूचना देनी चाहिए और फिर जाँच करनी चाहिए, चाहेः वे आपस में इस विश्वास को साझा करें या नहीं।

संगठन के प्रमुख या नामित व्यक्ति को **सभी** शिकायत करने योग्य आरोपों के बारे में Commission को सूचित करना चाहिए और हरेक शिकायत करने योग्य आरोप की जाँच भी करनी चाहिए।

यदि कोई वयस्क 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे के साथ ऊपर सूचीबद्ध पाँच प्रकार के आचरणों में से कोई भी आचरण करता है, तो यह शिकायत करने योग्य आचरण हो सकता है। इसमें ऐसा आचरण शामिल है जिसमें कोई भी बच्चा शामिल हो, चाहे वह बच्चा संगठन का सदस्य हो या नहीं। कोई बच्चा स्वयं शिकायत करने योग्य आचरण नहीं कर सकता है, परंतु दो बच्चों के बीच हुई किसी गतिविधि में वयस्कों की भूमिका शिकायत करने योग्य आचरण हो सकती है।

शिकायत करने योग्य आचरण के लिए कार्यवाही का आरंभ

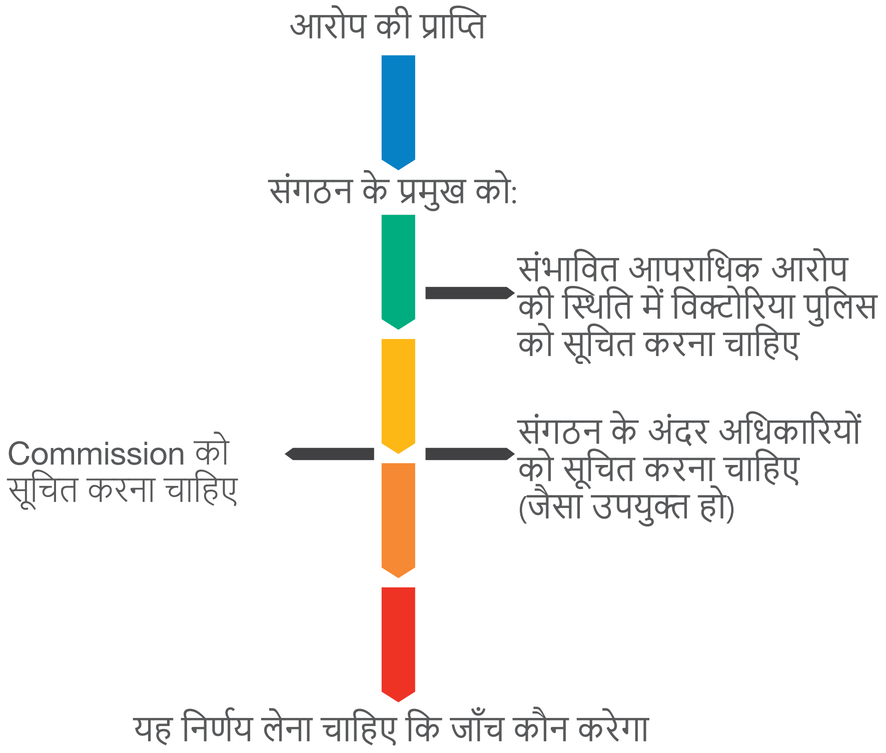

जब आरोप लगाया जाता है

संगठन के प्रमुख या नामित व्यक्ति को सभी आरोपों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। प्रमुख या नामित व्यक्ति को तीन (3) कार्य दिवसों के अंदर Commission के पास आरोप की शिकायत करना आवश्यक होता है। Commission को तीस (30) कैलेंडर दिनों के अंदर की गई कार्यवाहियों के बारे में भी बताया जाना चाहिए।

यदि आपराधिक व्यवहार का आरोप लगाया गया है, तो पुलिस को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। धार्मिक संगठन के अंदर भी ऐसे अधिकारी हो सकते हैं, जिन्हें सूचित करना आवश्यक होता है। यदि आप इस बारे में अनिश्चित हैं कि आरोप शिकायत करने योग्य आचरण के मुद्दों के बारे में है या नहीं, तो आपको Commission से आगे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

जाँच की प्रक्रिया

1. पुलिस को आरोप की सूचना दें (यदि आपराधिक हो)
2. इस बात का आकलन करें कि आरोप शिकायत करने योग्य है या नहीं
3. Commission को आरोप के बारे में सूचित करें (3 कार्य दिवस)
4. जाँच की योजना बनाएँ और योजना को स्थापित करें
5. संपूर्ण और निष्पक्ष जाँच करें
6. जाँच रिपोर्ट पूरी करें
7. निष्कर्ष स्थापित करें या इनके लिए सुझाव दें
8. Commission को निष्कर्षों के बारे में सूचित करें

यदि शिकायत करने योग्य आचरण और ऐसा दुराचार घटित हुआ हो जिसमें शिकायत करने योग्य आचरण शामिल हो सकता है, तो ऐसी सभी घटनाओं की जाँच की जानी आवश्यक है। यदि पुलिस ने आरोप की जाँच करने का निर्णय लिया है, तो धार्मिक संगठन को अपनी जाँच करने से पहले पुलिस की स्वीकृति की प्रतीक्षा करनी होगी। अन्य सभी मामलों में संगठन के प्रमुख को तथ्यों और आरोप (शिकायत करने योग्य आचरण) के बारे में निष्कर्ष स्थापित करने के लिए एक जाँच नियुक्त करने और पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता होगी।

शिकायत करने योग्य आचरण के लिए जाँच आरंभ करना

संगठन के प्रमुख या नामित व्यक्ति के लिए शिकायत करने योग्य आचरण के आरोप की जाँच करने हेतु एक सक्षम व्यक्ति को नियुक्त करना आवश्यक होता है। यह संगठन से जुड़ा कोई व्यक्ति या एक स्वतंत्र अन्वेषक हो सकता है। यदि आरोप या इसमें शामिल व्यक्तियों में से किसी के साथ भी जाँचकर्ताओं का वास्तविक या अनुमानित हितों का संघर्ष हो, तो उन जाँचकर्ताओं की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।

जाँच के लिए स्पष्ट संदर्भ की शर्तें और एक योजना होनी चाहिए, जिसमें साक्षात्कार किए गए लोगों और प्रमाणों के स्रोतों की पहचान करना शामिल होना चाहिए। किसी बच्चे का साक्षात्कार करने के लिए दृष्टिकोण वयस्क के साक्षात्कार करने के दृष्टिकोण से अलग होता है और इसके लिए सावधानीपूर्वक विचार करने और योजना बनाने की आवश्यकता होती है। कभी-कभी अन्वेषक के लिए बच्चे का साक्षात्कार करने में विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित और विशेषज्ञता-प्राप्त व्यक्ति की सहायता लेना लाभप्रद हो सकता है। आरोप के विषय के साथ साक्षात्कार के समय के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए।

जाँच के प्रमाणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- भौतिक प्रमाण, जैसे मोबाइल, ईमेल
- स्थल निरीक्षण, जैसे फोटो, तस्वीरें
- प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसे गवाह, साक्षात्कार
- विशेषज्ञ प्रमाण, जैसे डॉक्टर, आईटी विशेषज्ञ

शिकायत करने योग्य आचरण की जाँच करना

जाँच के दौरान किए जाने वाले साक्षात्कारों को निर्देशित करने के लिए कई सिद्धाँत लागू होते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- बच्चों का सँरक्षण सर्वोपरि है
- निजता और गोपनीयता - प्रत्येक साक्षात्कार की सामग्री का ज्ञान केवल उन्हीं लोगों को होना चाहिए जिन्हें इसकी जानकारी होना आवश्यक है
- साँस्कृतिक और धार्मिक संवेदनशीलता - परंपराओं और मान्यताओं का सम्मान किया जाना चाहिए
- प्रक्रियात्मक निष्पक्षता - लोगों के साथ समुचित और सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए।

जाँच को प्रमाण एकत्र करने चाहिए और प्रमाणों का आकलन करना चाहिए, तथा इस बारे में विचार करना चाहिए कि क्या शिकायत करने योग्य आचरण के घटित होने की संभावना इसके घटित न होने से अधिक है।

संगठन के प्रमुख या अन्वेषक द्वारा नामित व्यक्ति को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में यह इंगित किया जाना चाहिए कि क्या आरोप substantiated, unsubstantiated, unfounded, या conduct outside the scope of the Scheme है या नहीं।

Commission सामान्य रूप से substantiated निष्कर्षों को Working with Children Check Unit के पास आरोप के विषय के Working with Children Check के पुनराकलन के लिए निर्दिष्ट करेगा।

जाँच रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रकार

Balance of probabilities (संभावनाओं के संतुलन) के आधार पर आरोप का प्रकार निम्नलिखित हो सकता है:

- **Substantiated**
- **Unsubstantiated**
- **Unfounded**
- **Conduct outside the Scheme**

निष्कर्षों के प्रकारों के बारे में और अधिक विवरण Commission की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

Reportable Conduct Scheme के बारे में और अधिक जानकारी निम्नलिखित माध्यमों से उपलब्ध है:

वेबसाइट: ccyp.vic.gov.au/reportableconduct

ईमेल: contact@ccyp.vic.gov.au

फोन: 03 8601 5281 या 1300 782 978

यदि आपको दुभाषिए की आवश्यकता है, तो कृपया अनुवाद और दुभाषिया सेवा को 13 14 50 पर कॉल करें और उन्हें 03 8601 5281 पर Commission for Children and Young People से संपर्क करने के लिए कहें।

Reportable Conduct Scheme और Child Safe Standards Resources

Reportable Conduct Scheme सूचना पत्र - संगठनों का मार्गदर्शन

https://ccyp.vic.gov.au/rcs-factsheets

1. Reportable Conduct Scheme के बारे में
2. शिकायत करने योग्य आचरण क्या होता है?
3. संगठन के प्रमुख की जिम्मेदारियाँ
4. जाँच का अवलोकन
5. शिकायत करने की अन्य जिम्मेदारियाँ
6. Child Safe Standards और Reportable Conduct Scheme
7. Commission के पास शिकायत करना
8. जाँच के निष्कर्ष
9. यौन दुराचार
10. शारीरिक हिंसा
11. अत्यधिक उपेक्षा
12. ऐतिहासिक आरोप
13. कर्मचारी और स्वयंसेवक
14. Commission की अपनी प्रस्तावित जाँच

अनूदित सूचना प्रपत्र

https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/translated-information-sheets

- Arabic (अरबी)
- Burmese (बर्मी)
- Chinese (Simplified) [चीनी (सरलीकृत)]
- Chinese (Traditional) [चीनी (पारंपरिक)]
- Dari (दारी)
- Dinka (डिंका)
- English (plain) [अंग्रेज़ी (साधारण)]
- Greek (ग्रीक)
- Hindi (हिन्दी)
- Indonesian (इंडोनेशियाई)
- Korean (कोरियाई)
- Pashto (पश्तो)
- Persian – Farsi (फारसी)
- Punjabi (पंजाबी)
- Somali (सोमाली)
- Vietnamese (वियतनामी)

संगठनों का मार्गदर्शन – शिकायत करने योग्य आचरण के आरोप की जाँच

https://ccyp.vic.gov.au/guides

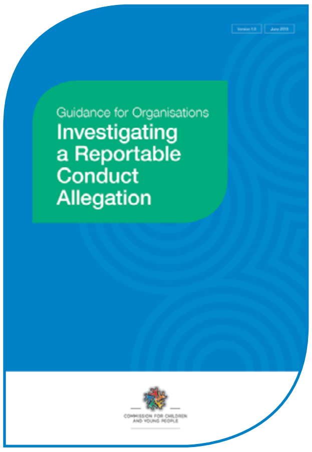

बच्चों के लिए सुरक्षित संगठन का निर्माण करने के लिए निर्देशिका

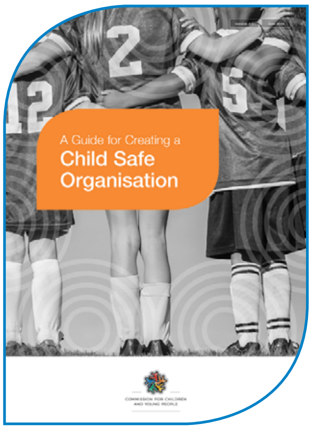

वीडियो और प्रस्तुतियाँ

https://ccyp.vic.gov.au/guides

COMMISSION FOR CHILDREN
AND YOUNG PEOPLE